जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़
अटल नगर (नया रायपुर)
विज्ञापन

क्रमांक 3738/जसंसं/स्था0/ई–62/2018 अटल नगर, दिनांक 29 सितंबर, 2018

जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, नया रायपुर के अधीन सूचना सहायक ग्रेड–एक एवं सूचना सहायक ग्रेड–दो के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर दिनांक 09 अक्टूबर 2018 (मंगलवार) से आमंत्रित किये जाते हैं ।

उपरोक्त पदों के लिए परीक्षा आयोजन हेतु संभावित कार्यक्रम निम्नानुसार है –

1– **परीक्षा की तिथि** – 16 दिसंबर 2018

2– **परीक्षा का समय :**

(i) सूचना सहायक ग्रेड–एक – अपरान्ह 2.00 बजे से 5.15 बजे तक

(ii) सूचना सहायक ग्रेड–दो – अपरान्ह 2.00 बजे से 5.15 बजे तक

3– ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की **प्रारंभिक तिथि**– 09 अक्टूबर 2018 (मंगलवार)

4– ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की **अंतिम तिथि** – 28 अक्टूबर 2018 (रविवार) (रात्रि 11.59 बजे तक)

5– व्यापमं की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि – – 10 दिसंबर 2018 (सोमवार)

6– **परीक्षा केन्द्र** : 05 संभागीय मुख्यालयों में – –अम्बिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर ।

7– **रिक्त पदों का विवरण** निम्नानुसार है :–

बैकलॉग रिक्तियां – (पुराने रोस्टर 22 जून 1998 में)

क्र0	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	बैकलॉग के कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	सूचना सहायक ग्रेड–1	लेवल–7	04	निरंक	01	03	निरंक
		योग बैकलॉग पद	04	निरंक	01	03	निरंक

सीधी भर्ती हेतु वास्तविक रिक्तियां– (नये रोस्टर 29 नवंबर 2012 में)

क्र0	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	सूचना सहायक ग्रेड–एक	लेवल–7	16	07 (दो महिला)	05 (एक महिला)	02	02
2	सूचना सहायक ग्रेड–दो	लेवल–6	08	03 (एक महिला)	03 (एक महिला)	01	01
		योग रिक्तियां	24	10	08	03	03
	योग कुल रिक्तियां	–	28	10	09	06	03

8– **दिनांक 01 जनवरी 2018 को आयु सीमा :–**

(अ) सूचना सहायक ग्रेड–1 के पद हेतु – 21 से 35 वर्ष
(ब) सूचना सहायक ग्रेड–2 के पद हेतु – 21 से 35 वर्ष

नियम एवं शर्तें:–

1. **सीधी भरती की पात्रता की शर्तें :–**

तृतीय श्रेणी के उक्त रिक्त पदों पर चयन के पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी –

(क) पदवार अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं :–

(अ) **सूचना सहायक ग्रेड–1 पद हेतु** :–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं पत्रकारिता में डिग्री/डिप्लोमा/3 वर्ष का अनुभव ।

(ब) **सूचना सहायक ग्रेड–2 पद हेतु** :–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं पत्रकारिता में डिग्री/डिप्लोमा/3 वर्ष का अनुभव ।

(छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 15–12–2006 में प्रकाशित छ0ग0 जनसंपर्क तृतीय श्रेणी (सचिवीय तथा अनुसचिवीय) सेवा भर्ती नियम–2006 के तहत)

(ख) आयु–सीमा –अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2018 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ग) निम्नलिखित अभ्यर्थियों को शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट की पात्रता होगी –

क्र.	अभ्यर्थी जिन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की नियमानुसार पात्रता होगी	अधिकतम आयु सीमा में छूट की पात्रता
1	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग	पांच वर्ष
2	छत्तीसगढ़ शासन के कार्यरत अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता/नैमेत्तिक सेवा निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी	तीन वर्ष
3	छंटनी किए गए शासकीय सेवक	तीन वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक	तीन वर्ष
5	ग्रीनकार्ड धारक	दो वर्ष
6	अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत अभ्यर्थी	पांच वर्ष
7	शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थी एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित व्यक्ति	पांच वर्ष
8	राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी	तीन वर्ष
9	स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिकों के नॉन कमीशन्ड अधिकारी	तीन वर्ष
10	महिलाओं के लिए	दस वर्ष
11	विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए विशेष छूट	पांच वर्ष
12	निःशक्तजन (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर)	दस वर्ष

टीप — छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिये अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेंगी । सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

2. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया जावे ।
3. आवेदित पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों सहित जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ स्थायी जाति प्रमाण पत्र, उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर (छ0ग0) द्वारा जारी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
5. छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आवश्यक है । आवेदन पत्र में पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का स्पष्ट उल्लेख करना तथा प्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
6. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में न होने/अपूर्ण अथवा अस्पष्ट होने, आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं पाये जाने और त्रुटिपूर्ण होने पर अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जायेगी ।
7. उपरोक्त उल्लेखित पदों के लिये नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा ।

8. उपरोक्त पदों पर किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार की अनुशंसा अथवा दबाव वर्जित है । ऐसा पाये जाने पर संबंधित आवेदक का आवेदन निरस्त किया जावेगा एवं समुचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
9. अभ्यर्थियों की सेवा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अधीन शासित होगी ।
10. विज्ञापन में दर्शाये गये पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने, प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने, स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय लेने का सर्वाधिकार संचालक/आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर (छ0ग0) को होगा ।
11. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति होने पर पदभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
12. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें । चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदन के अयोग्य पाये जाने पर आवेदन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा आवश्यकतानुसार समुचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
13. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से की जावेगी ।
14. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी (आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क) को होगा ।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत नियमित/संविदा कर्मचारियों को आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
16. स्वयं द्वारा सत्यापित/प्रमाणित फोटो एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र मान्य किया जा सकेगा ।
17. उक्त पदों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता रखने वाले पात्र अस्थिबाधित (OA) अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की पात्रता होगी ।
17. यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 तथा 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी ।

R.O. No. 56096

29.9.15

संचालक
जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़, अटल नगर